न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 पुनरीक्षण II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4573

मुकेश भार्गव, अभि.
5-12-17

5-12-17

पे. ति. 18-12-17

मुकेशभार्गव
5-12-17 एडवोकेट
ग्वालियर

सूर्यप्रताप पुत्र बासुदेव ब्रा.
उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि
निवासी ग्राम मुरैठा थाना व तहसील हनुमना,
जिला रीवा (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

वृजनन्दन प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद ब्रा.
निवासी मुरैठा, थाना व तह. हनुमना जिला
रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना द्वारा द्वारा प्र.क. 50 अ–74/16–17 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

अवेदक की ओर से निम्नानुसार विनय है कि –

संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, ग्राम मुरैठा की भूमि खसरा कमांक 242/2 रकवा 0.25ए. आवेदक की पैत्रिक भूमि में अनावेदक का नाम खसरा में गलत प्रविष्ट होने से विचारण न्यायालय में स्वत्व की जांच बावत खसरा सुधार का आवेदन दिया, विचारण न्यायालय पूर्ण सुनवाई पश्चात दिनांक 18.11.16 ज.प्र.क. 242/2 रकवा

2\

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक II/निगरानी/रीवा/भू0रा0/2017/4873

सूर्यप्रताप विरूद्ध वृजनन्दन प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-2-2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 50/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 3 18/02/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	